NHB/ /89-90.   April 4

Shri V.B. Mathur,
UnderSecretar y,
Government of India (Banking Divn),
Ministry of Finance,
Jeevandeep Building,
Parliment Street,
New Delhi - 110 001.

Dear Sir,

National Housing Bank General
Regulations, 1988.

You are aware that in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (NHB Act), the Reserve Bank of India, in consultation with the Central Government, has framed the National Housing Bank General Regulations, 1988 and the same has been notified in Part II of the Gazette of India: Extra Ordinary dated October 8, 1988. In terms of sub-section (5) of section 55 of the NHB Act, any regulation made under the Act is required to be laid before each House of Parliament, while it is in session, by the Central Government for a total period of 30 days. We request you to arrange compliance of the said provision of the Act at the earliest. 90 copies of the relevant regulationsare enclosed.

2. Incidentally, certain printing errors havecrept in the text of the Hindi version of the regulations. A list of such errors is also enclosed. We also request you to have an errata issued in the Official Gazette in respect of these errors. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(S. P. Ghosh)
General Manager & Secretary.

Encl: As above.

Copy to : GM, NHB, Bombay.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 520] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 8, 1988/आश्विन 16, 1910

No. 520] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 1988/ASHVINA 16, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय रिज़र्व बैंक

(औद्योगिक एवं निर्यात ऋण विभाग)

बम्बई, 8 अक्तूबर, 1988

अधिसूचना सं. 2

राष्ट्रीय आवास बैंक

सामान्य विनियमावली, 1988

[illegible]ा. आ. 935 (अ) :—राष्ट्रीय आवास बैंक अधि-[illegible]यम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 की [illegible]धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible]ीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय [illegible] बैंक के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता [illegible]—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—इन विनियमों [illegible] संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आवास बैंक साधारण विनियम, [illegible] है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,:—

(क) अधिनियम से राष्ट्रीय आवास बैंक, अधिनियम 1987 (1987 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "सदस्यों" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालिका समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन गठित किसी अन्य समिति का कोई सदस्य है।

अध्याय 2

बोर्ड और समितियों के अधिवेशन

3. (1) बोर्ड के अधिवेशन :—बोर्ड आमतौर पर प्रतिवर्ष तीन मास में एक बार अधिवेशन बैठक करेगा।

(2) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक द्वारा या दोनों की

[illegible] 01/88—1

अनुपस्थिति में, यथास्थिति अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा नामनिर्देशिती किसी अन्य निदेशक द्वारा बुलाए जाएंगे और वे दिल्ली में या भारत के किसी अन्य स्थान पर होंगे जो बोर्ड द्वारा निदेश किए जाएं।

(3) कोई भी पांच निदेशक अपनी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कामकाज पर विचार करने के प्रयोजन के लिए; बोर्ड का अधिवेशन बुलाने के लिए अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक से अपेक्षा कर सकेंगे और यथास्थिति अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, पर्याप्त सूचना देकर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा :

परंतु इस प्रकार बुलाए गए अधिवेशन की तारीख अध्यपेक्षा की तारीख से 21 दिन बाद की नहीं होगी।

(4) आमतौर पर बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन के लिए पंद्रह दिन से अन्यून की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी। यदि कोई आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो ऐसे प्रत्येक निदेशक को जो उस समय भारत में हैं, पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(5) बोर्ड के किसी भी अधिवेशन में अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति की सम्पत्ति के बिना ऐसे किसी कामकाज पर विचार नहीं किया जाएगा जो उससे भिन्न है जिस के लिए अधिवेशन बुलाया गया है।

(6) कामकाज के संव्यवहार के लिए पांच निदेशकों की, जिनमें से एक अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक होगा, गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(7) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की प्रति पर अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसकी प्रति अधिवेशन के पश्चात् यथा शीघ्र निदेशकों की सूचनार्थ परिचालित की जाएगी और उस पर पुष्टि के रूप में आगामी-अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

4. बोर्ड के अधिवेशन के बिना किसी संकल्प का विधिमान्य होना :—लिखित रूप में कोई संकल्प जो भारत में सभी निदेशकों को परिचारित किया गया हो तथा ऐसे निदेशकों में से जो उस समय भारत में हों, अधिकांश निदेशकों द्वारा (जिनमें से एक अध्यक्ष या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निदेशक होगा) अनुमोदित और हस्ताक्षरित हो, विधिमान्य और प्रभावी होगा और उसे बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित संकल्प समझा जाएगा जिस को संकल्प के अंतिम हस्ताक्षरकर्ता [illegible] मोदित और हस्ताक्षरित किया हो:

परंतु यदि विसम्पित्त करने वाला निदेश[illegible] रूप में यह अपेक्षा करता है कि इस प्रका[illegible] कोई संकल्प बोर्ड के अधिवेशन के समक्ष [illegible] चाहिए तो संकल्प को पूर्वोक्त रूप में [illegible] और प्रभावी तब तक नहीं समझा जाएगा [illegible] कि उसे ऐसे किसी अधिवशन में पारित [illegible] दिया जाता।

5. (1) कार्यपालक समिति :—राष्ट्रीय [illegible] की कार्यपालक समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेश[illegible] द्वारा नामनिर्देशिती बोर्ड के तीन से अनधिक [illegible] जिनमें से कम से कम एक निदेशक अधिनियम की [illegible] 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड [illegible] अधीन नामनिर्देशित निदेशकों से भिन्न होगा।

(2) कार्यपालिका समिति को, सिवाय ऐसे [illegible] के जो अधिनियम द्वारा या इन विनियमों के [illegible] द्वारा बोर्ड को विनिर्दिष्ट रूप से आरक्षित है, [illegible] आवास बैंक के सभी प्रायिक कामकाज करने [illegible] शक्ति होगी।

(3) कार्यपालिका समिति के अधिवेशन अध्यक्ष [illegible] या उसकी अनपस्थिति में प्रबंध-निदेशक द्वारा या दोनों [illegible] अनुपस्थिति में यथास्थिति अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक [illegible] नामनिर्देशिती किसी अन्य निदेशक द्वारा बुलाए [illegible] और ये नई दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान पर होंगे [illegible] अधिवेशन बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया [illegible]

(4) कार्यपालिका समिति द्वारा कारबार करने [illegible] उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट निर्देशकों में से कोई [illegible] निदेशक गणपूर्ति करेंगे।

(5) लिखित रूप में कोई संकल्प जिसे उप-विनि[illegible] (1) में विनिर्दिष्ट कार्यपालिका समिति के सदस्यों [illegible] परिचालित किया गया है और उनमें से किन्हीं तीन [illegible] द्वारा अनुमोदित किया गया है, विधिमान्य और प्रभा[illegible] होगा और उसे कार्यपालक समिति द्वारा उस तारीख [illegible] पारित किया हुआ संकल्प समझा जाएगा जिसको उस [illegible] संकल्प से संबंधित अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर [illegible] हैं।

(6) अधिनियम और इसमें अन्यथा उपबंधित [illegible] सिवाय इन विनियमों के उपबंध कार्यपालिका के अधिवेशनों को वैसे ही लागू होंगे मानो वे बोर्ड के अधिवेशनों [illegible] हों।

6. (1) अन्य समितियां :—अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन गठित (कार्यपालिका

समिति से भिन्न) कोई समिति, उसे न्यस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों द्वारा आबद्ध होगी जो बोर्ड द्वारा समय समय पर दिए जाएं।

(2) ऐसी समिति के अधिवेशन बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा समय समय पर दिल्ली में या भारत में किसी ऐसे अन्य स्थान पर बुलाए जाएंगे जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) किसी ऐसी समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसकी संख्या की एक तिहाई (उस एक तिहाई में कोई भाग को पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्य जो भी उच्चतर हो, होगी।

(4) इस अधिनियम या इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन विनियमों के उपबंध ऐसी किसी समिति के अधिवेशनों को ऐसे ही लागू होंगे मानो वे बोर्ड के अधिवेशन हों।

अध्याय 3

निदेशकों और सदस्यों की फीस और भत्ते

7. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के परंतुक के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक निदेशक, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन के लिए जिसमें वह उपस्थित होता है, 100 रु. की फीस प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह राष्ट्रीय आवास बैंक से (आकस्मिक पारिश्रमिक से भिन्न) कोई पारिश्रमिक जिसमें मानदेय भी सम्मिलित है, प्राप्त नहीं करता है, प्रत्येक समिति के अधिवेशन के लिए जिसमें वह उपस्थित होता है 100 रु. की फीस प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) ऐसी फीस के अतिरिक्त, निदेशकों और सदस्यों को उनकी यात्रा, विश्राम और अन्य व्यय की जिसमें यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, प्रतिपूर्ति ऐसे मापमानों पर की जाएगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं।

अध्याय - 4

साधारण उपबंध

8. (1) वह रीति और प्ररूप जिसमें राष्ट्रीय विकास बैंक पर आबद्धकर संविदाएं निष्पादित की जा सकेंगी :— राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से संविदाएं निम्न प्रकार से की जा सकेंगी :—

कोई संविदा जिस पर यदि वह प्राइवेट व्यक्तियों के बीच की गई है तो विधि द्वारा लिखित रूप में होना आवश्यक है, उससे प्रभारित होने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर किए हों, राष्ट्रीय विकास बैंक की ओर से की जा सकेगी और उस पर उसके अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर होंगे और उसी रीति से उसमें फेरबदल या उन्मोचन किया जा सकेगा।

(2) इस विनियम के उपबंधों के अनुसार की गई सभी संविदाएं विधिमान्य और राष्ट्रीय आवास बैंक पर आबद्धकर होंगी।

9. बोर्ड द्वारा ही प्रयुक्त की जाने वाली कुछ शक्तियां:— अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उस के सिवाय, राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से बोर्ड द्वारा ही निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा अर्थात् :—

(क) अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट साधारण निधि से संबंधित तुलन पत्रों का अनुमोदन;

(ख) उक्त साधारण निधि से संबंधित लाभ के विनियोजन का और अन्य प्रायिक और आवश्यक उपबंधों का अनुमोदन;

(ग) एक लाख रुपए से अधिक की हानियों/डूबंत ऋणों को बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन।

10. बैंक के लेखाओं, रसीदों और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति :—अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या राष्ट्रीय आवास बैंक के ऐसे अधिकारियों को जिन्हें बोर्ड द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से स्थावर संपत्ति से संबंधित या उसको प्रभावित करने वाले पट्टा विलेखों, अंतरणों, हस्तांतरणपत्रों भारों और सभी अन्य विलेखों पर हस्ताक्षर करने, राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम पर रखे गए या धारित किए गए या उसके द्वारा धारित किए गए वचनपत्रों, स्टाक रसीदों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूतियों और माल के हक संबंधी दस्तावेजों का पृष्ठांकन और अंतरण करने और राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत कारबार से संबंधित विनियमपत्रों और अन्य लिखतों को तैयार करने, स्वीकार करने और पृष्ठांकित करने की तथा ऐसे कारबार से संबंधित अथवा आनुषंगिक सभी अन्य लेखाओं, रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की पूर्ण शक्ति होगी।

11. वादपत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति :—वादपत्र, लिखित विवरण शपथपत्र तथा कानूनी कार्यवाही से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किए जा सकेंगे जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए और उनकी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए विनियम 10 द्वारा या उसके अधीन सशक्त किया गया है।

12. (i) बंधपत्रों का जारी किया जाना :—राष्ट्रीय आवास बैंक के बंधपत्र या डिबेंचर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे जो राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशानुसार मुद्रित, उत्कीर्ण या अश्ममुद्रित या ऐसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा छापित किए जा सकेंगे।

(ii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, अश्ममुद्रित या अन्यथा रूप में छापित हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ताओं की अपनी लिखावट में अंकित हस्ताक्षर के समान विधिमान्य होगा।

13. बैंक की सामान्य मुद्रा :—राष्ट्रीय आवास बैंक की सामान्य मुद्रा किसी लिखत पर कम से कम तीन निदेशकों की जिनमें अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक भी सम्मिलित होगा, उपस्थिति में लगाई जाएगी। ये निदेशक अपनी उपस्थिति के प्रमाणस्वरूप लिखत पर अपने नाम के हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे हस्ताक्षर ऐसे किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर से अलग होंगे जो उसमें साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा। जब तक पूर्वोक्त रूप में हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते, ऐसी लिखत की कोई विधिमान्यता नहीं होगी।

14. लेखाओं का वार्षिक विवरण :—राष्ट्रीय आवास बैंक का वार्षिक लेखा निम्नलिखित रूप में तैयार और उपवर्णित किया जाएगा :—

(i) इससे संलग्न प्ररूप "क" में विनिर्दिष्ट या उससे परिस्थितियों में यथा साध्य निकटतम रूप में प्रतिवर्ष 30 जून तक का तुलन पत्र;

(ii) 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इससे संलग्न प्ररूप 'ख' में विनिर्दिष्ट या उससे परिस्थितियों में यथा साध्य निकटतम रूप में लाभ और हानि का लेखा।

[फाइल सं. आईईसीडी. एनएचबी. सेल 155/एसीटी 88/89]

सी. रंगराजन, उप गवर्नर

प्ररूप "क"

राष्ट्रीय आवास बैंक

30 जून तक का तुलना पत्र

साधारण निधि

गत वर्ष रु.	दायित्व	अनुसूची	इस वर्ष रु.
1	2	3	4
	1. पूंजी	I	
	2. आरक्षितियां	II	
	3. लाभ-हानि लेखा	III	
	4. बंधपत्र आदि डिबेंचर		
	5. निक्षेप		
	6. उधार	IV	
	7. उपदान अनुदान, संदान और लाभ		
	8. दायित्व और व्यवस्था		
	9. अन्य दायित्व		
	आस्तियां		
	1. नकदी एवं बैंक शेष	V	
	2. निवेश	VI	
	3. ऋण और अग्रिम	VII	
	4. खरीदे गए, मांजित, पुनर्मांजित बिल		
	5. अचल आस्तियां	VIII	
	6. अन्य आस्तियां	IX	
	7. लाभ हानि लेखा		
	आकस्मिक दायित्व		

प्ररूप 'ख'

राष्ट्रीय आवास बैंक

30 जून को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का लेखा

साधारण निधि

गत वर्ष रु.		इस वर्ष रु.
	व्यय	
	1. ब्याज	
	2. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ	
	3. निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय	
	4. लेखा परीक्षा की फीस	
	5. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा	
	6. डाक-व्यय, तार और टेलीफोन	
	7. विधि विषयक व्यय	
	8. लेखा सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन आदि	
	9. अवक्षयण	
	10. अन्य व्यय	

गत वर्ष रु.		इस वर्ष रु.
	11. तुलन पत्र में आनीत लाभ	
	आय	
	1. ब्याज और बट्टा	
	2. निवेश से आय	
	3. कमीशन, दलाली और फीस	
	4. अन्य आय	
	5. तुलन पत्र में आनीत हानि	

तुलन पत्र की अनुसूचियां

30 जून ————को

साधारण निधि

गत वर्ष रु०		इस वर्ष रु०
	अनुसूची I: पूंजी:	
	1. प्राधिकृत	
	2. निर्गमित और समादत्त (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	
	अनुसूची II: आरक्षितियां	
	1. आरक्षित निधि	
	2. विशेष निधि	
	3. आरक्षतियां	
	अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा	
	1. संबद्ध लेखाओं के अनुसार अतिशेष	
	2. घटाकर: विनियोजन	
	3. शुद्ध लाभ का अतिशेष	
	अनुसूची IV उधार राशियां	
	1. भारतीय रिजर्व बैंक से	
	(i) राष्ट्रीय आवास प्रत्यक्ष (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि में से	
	(ii) अन्य	
	2. भारत सरकार से	
	3. अन्य स्रोतों से	
	(क) भारत में	
	(ख) भारत से बाहर	

गत वर्ष रु.		इस वर्ष रु.
	अनुसूची V नकदी और बैंक अतिशेष	
	1. नकदी	
	2. भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	
	3. अन्य बैंकों में अतिशेष:	
	(क) भारत में	
	(ख) भारत के बाहर	
	अनुसूची VI निवेश	
	1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां—लागत या बाजार मूल्य पर इनमें जो भी कम हो।	
	2. आवास वित्त संस्थाओं के स्टाक, शेयर, बंधपत्र, डिबेंचर और प्रतिभूतियां।	
	3. अन्य संस्थाओं के स्टाक, शेयर, बंधपत्र डिबेंचर और प्रतिभूतियां	
	अनुसूची VII ऋण और अग्रिम	
	1. आवास वित्त संस्थाएं	
	(i) आवास वित्त पोषण कंपनियां	
	(ii) सहकारी आवास, वित्त पोषण सोसाइटियां	
	(iii) अन्य	
	2. अनुसूचित बैंक:	
	(i) वाणिज्यिक बैंक	
	(ii) राज्य सहकारी बैंक	
	(iii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक	
	(iv) शहरी सहकारी बैंक	
	(v) अन्य	
	अनुसूची VIII अचल आस्तियां	
	लागत पर अवक्षयण घटाकर	
	1. परिसर	
	2. अन्य	
	अनुसूची IX अन्य आस्तियां	
	(मुख्य विवरण दिया जाए)	

RESERVE BANK OF INDIA

INDUSTRIAL & EXPORT CREDIT DEPARTMENT

Bombay, the 8th October, 1988

NOTIFICATION NO. 2

NATIONAL HOUSING BANK GENERAL REGULATIONS, 1988

S.O. 935(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) the Reserve Bank of India, in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

INTRODUCTORY

1. (1) Short title and commencement :—These regulations may be called the National Housing Bank General Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) 'Act' means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

(b) "Member" means a member of the Executive Committee constituted under sub-section (1) of Section 12 of the Act and includes a member of any other committee constituted under sub-section (3) of that Section.

CHAPTER II

MEETINGS OF THE BOARD AND COMMITTEES

3. Meetings of the Board.—(1) The Board shall ordinarily meet once a quarter in each year.

(2) Meetings of the Board shall be convened by the Chairman, or in his absence, by the Managing Director or in the absence of both, by any other director nominated by the Chairman or the Managing Director as the case may be, and shall be held at Delhi or at such other place in India as may be directed by the Board.

(3) Any five directors may, for the purpose of the consideration of the business to be specified in their requisition, require the Chairman or the Managing Director to convene a meeting of the Board and the Chairman or the Managing Director as the case may be, shall, on receipt of such requisition, convene a meeting of the Board giving sufficient notice:

Provided that the date of the meeting so convened shall not be later than 21 days from the date of the requisition.

(4) Ordinarily not less than one clear fortnight's notice shall be given of each meeting of the Board and such notice shall be sent to every director at his registered address. Should it be necessary to convene an emergency meeting, sufficient notice shall be given to every director who it as that time in India.

(5) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Board, except with the consent of the person presiding at the meeting.

(6) Five directors, of whom one shall be a director nominated under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Act, shall form the quorum for the transaction of business.

(7) A copy of the minutes of each meeting of the Board shall be signed by the person presiding and circulated for the information of the directors as soon as possible after the meeting and shall be signed by the person presiding at the next successding meeting by way of confirmation.

4. Resolution without meeting of Board valid.—A resolution in writing circulated to all the directors in India and approved and signed by a majority of such directors who are then in India (of whom one shall be the Chairman or a director nominated by the Reserve Bank) shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date on which it is approved and signed by the last signatory to the resolution:

Provided that if any dissenting director requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual as aforesaid, unless the same is passed at such a meeting.

5. The Executive Committee.—(1) The Executive Committee of the National Housing Bank shall consist of the Chairman, the Managing Director and not more than three directors of the Board to be nominated by the Board of whom at least one shall be a director other than the directors nominated under clause (d) and clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Act.

(2) The Executive Committee shall have full powers to transact all the usual business of the National Housing Bank except in such matters as are specifically reserved to the Board by the Act or regulation 9 of these regulations.

(3) Meetings of the Executive Committee shall be convened by the Chairman, or in his absence, by the

Managing Director or, in the absence of both, by any other director nominated by the Chairman or the Managing Director, as the case may be, and shall be held at New Delhi or at such other place as may be specified by the person convening the meeting.

(4) Any three of the directors referred to in sub-regulation (1) shall form a quorum for the transaction of business by the Executive Committee.

(5) A resolution in writing and circulated to the members of the Executive Committee referred to in sub-regulation (1) and approved by any three of them shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Executive Committee on the date on which it is signed by the last signatory to the resolution.

(6) The provisions of the Act and save as otherwise provided herein, these regulations, shall apply to the meetings of the Executive Committee as if they were meetings of the Board.

Other Committees

6. (1) Any Committee (other than the Executive Committee) constituted under sub-section (3) of Section 12 of the Act shall, in exercise of the powers entrusted to it, be bound by such general or special directions as the Board may give from time to time.

(2) Meetings of such Committee shall be called from time to time by the person appointed as the convenor of the Committee by the Board at Delhi or at such other place in India as may be specified by him.

(3) The quorum for the meeting of any such Committee shall be one third of its strength (any fraction contained in that one third being rounded off as one) or two members, whichever is higher.

(4) The provisions of the Act and save as otherwise provided herein, these regulations shall apply to meetings of such a Committee as if they were meetings of the Board.

CHAPTER III

FEES AND ALLOWANCES OF DIRECTORS AND MEMBERS

Fees and allowances

7. (1) Subject to the provisions of the proviso to sub-section (5) of Section 7 of the Act, every director shall be entitled to receive a fee of Rs. 200 for each meeting of the Board which he attends.

(2) Unless he is in receipt of any remuneration, including honorarium (other than casual remuneration) from the National Housing Bank, every member shall be entitled to receive a fee of Rs. 100 for each Committee meeting which he attends.

(3) In addition to such fees, directors and members shall be reimbursed their travelling, halting and other expenses including accommodation on such scales as may be fixed from time to time by the Reserve Bank of India.

CHAPTER IV

GENERAL PROVISIONS

Manner and form in which contracts binding on the National Housing Bank may be executed

8. (1) Contracts on behalf of the National Housing Bank may be made as follows :

Any contract which, if made between private persons, would by law be required to be in writing, signed by the parties to be charged therewith, may be made on behalf of the National Housing Bank in writing signed by any person acting under its authority, express or implied, and may be in the same manner be varied or discharged.

(2) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be valid and binding on the National Housing Bank.

Certain powers to be exercised by the Board only

9. Save as otherwise provided in the Act the following powers on behalf of the National Housing Bank shall be exercised only by the Board namely :—

(a) approval of the balance sheets relating to the General Fund referred to in sub-section (1) of Section 37 of the Act;

(b) approval of appropriation of profits and other usual and necessary provisions relating to the said General Fund.

(c) approval of write-off of losses|bad debts in excess of rupees one lakh.

Accounts, receipts and documents of Bank by whom to be signed

10. The Chairman, the Managing Director or such of the officers of the National Housing Bank as are authorised in this behalf by the Board by notification in the Gazette of India shall have power to execute, on behalf of the National Housing Bank, lease deeds, transfers, conveyances, charges and all other deeds relating to or affecting rights to or in immovable property, to endorse and transfer promissory notes, stock receipts, stocks, debentures, shares, securities and documents of title to goods standing in the name of or held in the name of or held by the National Housing Bank, and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of the National Housing Bank and to sign all other accounts, receipts and documents connected with or incidental to such business.

Plaints etc. by whom to be signed

11. Plaints, written statements, affidavits and all other documents connected with legal proceedings may

be signed and verified on behalf of the National Housing Bank by any Officer empowered by or under regulation 10, to sign documents for and on behalf of the National Housing Bank.

Issue of Bonds

12. (i) The bonds or debentures of the National Housing Bank shall be issued over the signature of the Chairman or the Managing Director which may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanical process as the National Housing Bank may directs;

(ii) A signature so printed, engraved, lithographed otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper hand writing of the signatory himself.

Common seal of the Bank

13. The common seal of the National Housing Bank shall be affixed to any instrument only in the presence of at least three directors including the Chairman or the Managing Director, who shall sign their names to the instrument in token of their presence, and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as a witness. Unless so signed as aforesaid, such instrument shall be of no validity.

Annual Statements of accounts

14. The annual accounts of the National Housing Bank shall be prepared and set out in,—

(i) a Balance Sheet as on the 30th June of the year as specified in Form 'A' annexed hereto or as near thereto as circumstances admit;

(ii) a Profit and Loss account for the year ended 30th June as specified in Form 'B' annexed hereto or as near thereto as circumstances admit.

[File No. IECD. NHB Cell 155|Act-88|89]

C. RANGARAJAN, Dy. Governor

Form 'A'

NATIONAL HOUSING BANK

Balance Sheet as at 30th June

General Fund

Previous year Rs.		Schedules	This year Rs.
	Liabilities		
	1. Capital	I	
	2. Reserves	II	
	3. Profit & Loss Account	III	
	4. Bonds & Debentures		
	5. Deposits		
	6. Borrowings	IV	
	7. Gifts, Grants, Donations & Benefactions		
	8. Current Liabilities & Provisions		
	9. Other Liabilities		
	Assets		
	1. Cash & Bank Balances	V	
	2. Investments	VI	
	3. Loans & Advances	VII	
	4. Bills Purchased, Discounted, Rediscounted		
	5. Fixed Assets	VIII	
	6. Other Assets	IX	
	7. Profit & Loss Account		
	Contingent Liabilities		

Form 'B'

NATIONAL HOUSING BANK

Profit & Loss Account for the year ended 30th June

General Fund

Previous year Rs.		This year Rs.
	Expenditure	
	1. Interest	
	2. Staff Salaries, Allowances etc. and Terminal Benefits	
	3. Directors' and Committee Members' fees and Expenses	
	4. Audit Fees	
	5. Rent, Taxes, Electricity and Insurance	
	6. Postage, Telegrams, Telex and Telephones	
	7. Law Charges	
	8. Stationery, Printing Advertisement etc.	
	9. Depreciation	
	10. Other expenditure	
	11. Profit carried to Balance Sheet	

Income

1. Interest & Discount
2. Income from Investments
3. Commission, Brokerage and Fees
4. Other Income
5. Loss carried to Balance Sheet

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

As at 30th June

General Fund

Previous year Rs.		This year Rs.
		Schedules
	Capital:	I
	1. Authorised	
	2. Issued and Paid-up (wholly subscribed by the Reserve Bank of India)	
	Reserves:	II
	1. Reserve Fund	
	2. Special Fund	
	3. Other Reserves	
	Profit & Loss Account:	III
	1. Balance as per annexed accounts	
	2. Less: Appropriations:	
	3. Balance of the net profits	
	Borrowings:	IV
	1. From Reserve Bank of India	
	(i) Out of National Housing Credit (Long Term Operations) Fund	
	(ii) Others	
	2. From Government of India	
	3. From Other Sources	
	(i) In India	
	(ii) Outside India	

	Schedules
Cash & Bank Balances	V
1. Cash in Hand	
2. Balance with Reserve Bank of India	
3. Balance with other Banks	
(i) In India	
(ii) Outside India	
Investments	VI
1. Securities of Central and State Govts.—at cost or market value whichever is less	
2. Stocks, shares, bonds, debentures and securities of Housing Finance Institutions	
3. Stocks, shares, bonds, debentures and securities of other institutions	
Loans & Advances	VII
1. Housing Finance Institutions:	
(i) Housing Finance Companies	
(ii) Cooperative Housing Finance Societies	
(iii) Others	
2. Scheduled Banks:	
(i) Commercial Banks	
(ii) State Cooperative Banks	
(iii) Regional Rural Banks	
(iv) Urban Cooperative Banks	
(v) Others.	
Fixed Assets	VIII
(At cost less depreciation)	
1. Premises	
2. Others —	
Other assets	IX
(Broad break-up may be given)	

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

GI/88—2